

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, पुलिस भवन, लखनऊ ।

टॉवर-1, छठौं तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार

संख्या:12ए-150(अनुग्रह धनराशि)-2021

दिनांक:फरवरी 20, 2026

सेवा में,

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: उ0प्र0पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान मृत/अपंग/दिव्यांग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता के प्रस्ताव के साथ-साथ उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता (अनुग्रह, वार्षिक शिक्षा सहायता, साईकिल, टैबलेट, लैपटॉप एवं पुत्री की शादी हेतु) के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान मृत/अपंग व दिव्यांग होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कराने से सम्बन्धित जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में प्रेषित किये जा रहे हैं, के परिशीलन से प्राया जा रहा है कि इनमें कुछ प्रस्ताव विगत कई वर्ष पुराने तथा आधे-अधूरे हैं। इसके लिए मृतक कर्मियों के आश्रितों द्वारा विभिन्न माध्यमों से बार-बार प्रार्थना-पत्र दिये जा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। अनुग्रह धनराशि स्वीकार करने की शक्तियाँ पुलिस विभाग को इसलिए प्राप्त हुई हैं कि उस पर तत्परता से कार्यवाही की जाए।

2. इस सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुपालन में समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को उ0प्र0पुलिस मुख्यालय के विभिन्न परिपत्रों के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु उक्त परिपत्रों/शासनादेशों/चेकलिस्टों का भलीभाँति परिशीलन/अवलोकन किये बिना ही अधूरे प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान विलम्ब से होने के कारण उच्चाधिकारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है।

3. उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान, उ0प्र0लखनऊ का उद्देश्य भारत-चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्टरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में "पवन" आपरेशन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/देवी-आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं तथा अग्नि-काण्ड के समय एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों (Operations) में सक्रिय ड्यूटी के दौरान मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग घोषित (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर), ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटनावश मृत्यु (यथा-सीमा पर अभियान हेतु आने-जाने के दौरान दुर्घटनावश गाड़ी पलट जाने/लड़ जाने अथवा किसी चीज से टकरा जाने पर, सांप काट लेने पर, हृदयगति रुक जाने के कारण, आंधी-तूफान से टेन्ट गिरने के कारण, नदी-नाला पार करते समय उसमें गिरने के कारण एवं आदि प्रकार की दुर्घटनाओं में) किसी अभियान के दौरान वायुयान/हेलीकाप्टर के क्रैश होने के कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु एवं अपराधी को पकड़कर गाड़ी से ले जाते समय किसी कारण दुर्घटनावश हुई मृत्यु होने पर सैन्य बल/अर्द्धसैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी. एवं विशेष पुलिस बल कार्यरत कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, को अनुग्रह, वार्षिक शिक्षा सहायता, साईकिल, टैबलेट, लैपटॉप एवं पुत्री की शादी हेतु सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त सम्बन्ध में जनपद/इकाईयों से काफी कम प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

4. अतएव ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों के त्वरित रूप से निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि उ0प्र0 पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्यपालन के दौरान मृत/अपंग व दिव्यांग होने पर उ0प्र0 पुलिस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.10.2021 के अनुरूप 29 बिन्दुओं की चेकलिस्ट के अनुसार अनुग्रह आर्थिक सहायता का प्रस्ताव (03 माह के अन्दर प्रत्येक दशा में) उपलब्ध कराने के साथ-साथ उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता (अनुग्रह, वार्षिक शिक्षा सहायता, साईकिल, टैबलेट, लैपटॉप एवं पुत्री की शादी हेतु) से सम्बन्धित बुकलेट को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त बुकलेट को अपलोड कर जनपद/इकाई स्तर पर लगे आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान के बोर्डों को अद्यावधिक कराते हुए उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। साथ ही शहीद के परिवारों को उक्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कराते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र/प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।
संलग्नक: यथोपरि।

(चेकलिस्ट व आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की(बुकलेट)/आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप)



20.2.26

(आशुतोष मिश्र)

पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण
उत्तर प्रदेश।